

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) आयुक्त एवं सचिव,

राजस्व परिषद,

उ०प्र० लखनऊ।

(2) जिलाधिकारी,

बहराइच।

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक:12 फरवरी,2018

विषय:-विधान सभा के प्रथम सत्र 2018 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-32 का उत्तरालेख्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विधान सभा सचिवालय उ०प्र० प्रश्न अनुभाग के पत्र दिनांक 07.02.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रश्न का उत्तरालेख्य शासन को दिनांक 15.02.2018 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।